इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 627] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 29, शक 1944

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम 2022

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1-0001-2022-Sec.1-उनसठ-(Ayu) .—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 1 नवम्बर 2022 में अधिसूचित ''मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022'' के नियम 7 'फीस संरचना' में उल्लिखित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित करता है:—

''शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा, जो कि तालिका-1 में प्रदर्शित है. निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालयों के मामले में मध्यप्रदेश प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति / मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी.''

मध्यप्रदेश एम. डी. / एम. एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022

संशोधन

क्र. एफ 1-0001-2022-Sec.1-उनसठ-(Ayu) .—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 1 नवम्बर 2022 में अधिसूचित ''मध्यप्रदेश एम. डी. (आयुर्वेद) / एम. एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022'' के नियम 17 'फीस संरचना' में उल्लिखित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित करता है:—

''शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा, जो कि तालिका-1 में प्रदर्शित है. निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों के मामले में मध्यप्रदेश प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति / मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी.''

मध्यप्रदेश एम. डी. (होम्योपैथी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022

संशोधन

क्र. एफ 1-0001-2022-Sec.1-उनसठ-(Ayu) .—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 1 नवम्बर 2022 में अधिसूचित ''मध्यप्रदेश एम. डी. (होम्योपैथी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022'' के नियम 17 'फीस संरचना' में उल्लिखित प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित करता है:—

''शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा, जो कि तालिका-1 में प्रदर्शित है. निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों के मामले में मध्यप्रदेश प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति / मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस देय होगी.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.